न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

12/6/2020

तारीख रजू ....

राजेश कुमार बनाम सरपंच ग्राम पं० टीकरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].06.2020	वकील अपीलान्ट उपस्थित। आज यह अपील अपीलान्ट के वकील श्री थान सिंह कदम एड० ने पेश की गई। कार्यालय रिपोर्ट की गई। अपील दर्ज पंजिका हो। रेस्पोंडेन्ट जरिये समन तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.07.2020 को पेश हो। [signature]	
28.7.20	[illegible] कोरोना एस०/P.O. [illegible] covid-19 .... पत्रावली दिनांक 19-1-21 को पेश हो। [signature]	
19/1/21	वकील अपीलान्ट उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 12.6.20 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16/3/21 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
16/3/21	वकील अपीलान्ट उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 12.6.20 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12/4/21 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
12-4-21	वकील अपीलान्ट उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 12-6-20 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28/6/21 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम की तामील
20/6/12	मुताबिक [illegible] P.O बाबत [illegible] बाबत दिनांक 13/7/12 को पेश हो।	
13/7/12	वकील अपीलार्थी ......उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक......17.6.12...... की पालना में पत्रावली वास्ते...... [illegible] दिनांक......8/11/12......को पेश हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
8/11/12	वकील अपीलार्थी ......उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक......17.6.12...... की पालना में पत्रावली वास्ते...... [illegible] दिनांक......31/1/12......को पेश हो।	
31/1/12 राजेश कुमार	वकील अपीलार्थी उपस्थित रे स्पोडेन्ट श्री रोटरी श्री तनजी लाल शर्मा ने वे स्पो० गन्ट ओ रे इकबाल जवाब पेश किया। शुरू किया रिजर्व वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 10/3/12 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
10/3/12 राजेश कुमार	पत्रावली पेश किया हुई। बहस पत्रावली पर सुन ली गई। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। इन्तकाल संख्या 527 वाके ग्राम मानपुर तहसील कठूमर से प्रभावित आराजी पर अपीलार्थी का नाम पप्पू पुत्र रामदयाल के स्थान पर राजेश कुमार पुत्र रामदयाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार कठूमर को आदेश हो कि वो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। निर्णय प्रथक से लिखा जाकर सि० रा० मि० किया जाकर अपील अपीलार्थी पेश हुई होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला [illegible] भेजा जावे। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12/6/2020

वउनवान

1. राजेश कुमार पुत्र श्री रामदयाल जाति जाटव निवासी तसई तहसील कठूमर जिला अलवर

------ अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत टीकरी पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर

------ रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 527 वाके ग्राम मानपुर आज्ञा दिनांक 20.10.2014

उपस्थित :-

श्री थानसिंह कर्दम अधिवक्ता – अपीलाण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.03.2022

संक्षिप्त तथ्य अपील अपीलाण्ट इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 156, 155, 141, 184, 142 ग्राम मानपुर तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें मुताविक हिस्सा जमाबन्दी अपीलाण्ट के पिता रामदयाल पुत्र घीसा की खातेदारी दर्ज थी। अपीलाण्ट के पिता रामदयाल का स्वर्गवास हो जाने पर उनका विरासत इन्तकाल संख्या 527 वाके ग्राम मानपुर पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को विना सुने विना वुलाये अपीलाण्ट के सही नाम की जानकारी किये विना, विना अपीलाण्ट के नाम के व पहचान के दस्तावेज लिये ही गैरकानूनी ढंग से व मनमाने तरीके से राजेश कुमार के स्थान पर पप्पू दर्ज कर दिया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल पर कानूनगौ हल्का ने मिलान करते समय अंकन सही होना लिख दिया व रेस्पो0 ने विना अपीलाण्ट को वुलाये विना सूचना दिये सही नाम की जांच किये विना ही दिनांक 20.10.2014 को स्वीकार कर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दिया। जिस दोष पूर्ण इन्तकाल के स्वीकार होने पर उसका अमल जमाबन्दी में खसरा नम्बर 156—155 में राजेश पुत्र रामदयाल व खसरा नम्बर 141, 184, 142 मे पप्पू पुत्र रामदयाल दर्ज कर दिया जवकि अपीलाण्ट के समस्त पहचान के दस्तावेज जेसे पहचान पत्र, राशनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मार्कसीट आदि में अपीलाण्ट का नाम राजेश कुमार ही अंकित है। अपीलाण्ट का नाम पप्पू न होकर राजेश कुमार है। उक्त इन्तकाल रेस्पो0 ने अपीलाण्ट को विना वुलाये विना सुने विना नोटिस दिये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका अपीलाण्ट के सही नाम की जांच किये विना ही स्वीकार किया है जिस गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 10.12.2019 को पटवारी हल्का के पास अपनी खातेदारी की कृषि भूमि वावत के सी सी की फाइल तैयार कराने गया तो पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट से कहा कि विवादित आराजी में आपका नाम कहीं पप्पू कहीं राजेश दर्ज हो रहा है। तुझे के सी सी ऋण नहीं मिलेगा। अतः अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 527 वाके ग्राम मानपुर निरस्त कर इस इन्तकाल से प्रभावित जमीन में अपीलाण्ट का नाम पप्पू के स्थान पर राजेश कुमार दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलव किया गया।

रेस्पोडेण्ट की ओर से इकबाल पेश हुआ है। जिस ईकवाल जवाव में रेस्पो0 ने अपील स्वीकार कर इन्तकाल से प्रभावित जमीन में अपीलाण्ट का नाम पप्पू के स्थान पर राजेश कुमार करने की सहमति दी है।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल किता 2, इन्तकाल संख्या 527 वाके ग्राम मानपुर की सत्यप्रतिलिपी तथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंकतालिका मा0 शिक्षा बोर्ड सैकण्डरी कक्षा की छाया प्रतियां पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

अपीलाण्ट ने पर्चा मौका पेश किया है जिसमें ग्रामवासियान के हस्ताक्षर है जिसमें ग्रामवासियों ने जाहिर किया कि ग्राम इन्द्राकॉलोनी में राजेशकुमार पुत्र रामदयाल व पप्पू पुत्र रामदयाल नाम का एक ही व्यक्ति है अलग अलग नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपनी अपील के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि इन्तकाल संख्या 527 वाके ग्राम मानपुर को रेस्पो0 ने अपीलाण्ट के सही नाम की जांच किये विना खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दिनांक 20.10.2014 को स्वीकार किया है जिसमें अपीलाण्ट का नाम राजेश कुमार के स्थान पर पप्पू अंकित किया है जवकि पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात से अपीलाण्ट का नाम पप्पू न होकर राजेश कुमार प्रमाणित है। अतः इन्तकाल संख्या 527 वाके गाम टीकरी से प्रभावित आराजी में अपीलाण्ट का नाम पप्पू के स्थान पर राजेश कुमार दर्ज किया जावे। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड रेस्पो0 के ईकवाल जवाव व पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षिय वहस पर मनन किया। अपीलाण्ट ने इन्तकाल से प्रभावित आराजी की जमाबन्दी पेश की है जिनमें खसरा नम्बर 155—156 वाके ग्राम मानपुर में अपीलाण्ट का नाम राजेश पुत्र रामदयाल दर्ज है तथा खसरा नम्बर 141, 184, 142 वाके ग्राम मानपुर में पप्पू पुत्र रामदयाल दर्ज है। जवकि अपीलाण्ट ने अपने नाम वावत आधार कार्ड अंकतालिका मतदाता पहचान पत्र जाति प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति पेश की हैं जिन समस्त दस्तावेजात में अपीलाण्ट का नाम राजेश कुमार पुत्र रामदयाल दर्ज है। रेस्पो0 ने ईकवाल जवाव पेश कर अपीलाण्ट का नाम इन्तकाल से प्रभावित जमीन में पप्पू के स्थान पर राजेश कुमार दर्ज करने की सहमति दी है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि व रेस्पो0 के ईकवाल जवाव के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन करने पर अपीलाण्ट का नाम पप्पू न होकर राजेश कुमार पुत्र रामदयाल जाति जाटव होना प्रमाणित है। रेस्पो0 ने इन्तकाल संख्या 527 वाके ग्राम मानपुर में अपीलाण्ट को विना सुने विना नोटिस दिये ही अपीलाण्ट का नाम राजेश कुमार के स्थान पर पप्पू दर्ज करना पाया गया है। जवकि अपीलाण्ट का नाम राजेश कुमार प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 527 वाके ग्राम मानपुर तहसील कठूमर से प्रभावित आराजी पर अपीलाण्ट का नाम पप्पू पुत्र रामदयाल के स्थान पर राजेश कुमार पुत्र रामदयाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। अपील अपीलाण्ट फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 10.03.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (कठूमर) (अलवर)